<u>न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय, आंवला, जिला बरेली।</u>

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 753/2022
(CNR. No.UPBR120030542022)

सरकार बनाम महबूब बेग आदि

धारा- 380, 457, 411 भा.दं.सं.
मु.अ.सं.- 238/2022
थाना- सिरौली, जिला बरेली।

<u>दिनांक- 14.10.2022</u>

आज यह जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त इरशाद पुत्र गफ्फार खां की ओर से मु.अ.सं. 238/2022, अन्तर्गत धारा 380, 457, भा.दं.सं., थाना सिरौली, जिला बरेली के प्रकरण में जमानत हेतु दिया गया है। अभियुक्त दिनांक 30.08.2022 से जिला कारागार, बरेली में निरूद्ध है।

अभियुक्त द्वारा जरिये विद्वान अधिवक्ता कथन किया गया है कि अभियुक्त को रंजिशन, झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त निर्दोष है तथा अभियुक्त द्वारा कोई चोरी नहीं की गयी है।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा थाने से आपराधिक इतिहास तलब किये जाने का अंकन किया गया है।

जमानत प्रार्थना पत्र पर सुना व उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

अभियुक्त उपरोक्त पर अन्तर्गत धारा 380, 457 भा.दं.सं. का अपराध कारित करने का अभियोग है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार रात्रि में घर में घुसकर भैंस चोरी किये जाने का अंकन किया गया है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आज ही जमानत प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु बल दिया गया है। अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र में कथित अपराध अजमानतीय एवं गंभीर प्रकृति का है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में जमानत का आधार पर्याप्त नहीं है। जमानत प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

उपरोक्त प्रकरण में अभियुक्त इरशाद पुत्र गफ्फार खां का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

(अंकित कुमार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय,
आंवला, जिला बरेली।